कार्यालय अपर पुलिस उपायुक्त नोएडा गौतमबुद्धनगर।

पत्रांकः- आर0टी0आई0-ब-411/2023 दिनांक- 15, 01 ,2025

सेवा मे,

आवेदक-Yogi M P Singh
Add.-Mohalla-Surekapuram colony, Jabalpur Road,
Distict- Mirzapur Uttar Pradesh-231001
Mob.-7379105911

कृपया अवगत कराना है कि आपके द्वारा दिनांक-01.10.2023 के आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दू पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था । आपके प्रकरण में सूचना धारक तत्कालीन सहायक जनसूचना अधिकारी/सहायक पुलिस आयुक्त प्रथम नोएडा से प्राप्त आख्या आपको पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है,आपके द्वारा प्रकरण में प्रथम अपील प्रेषित की गयी, आपके द्वारा दिनांक-30/10/2024 को द्वितीय अपील योजित की गयी । आपके द्वारा लगाये गये एतराज पर सम्बन्धित सूचना धारक सहायक जनसूचना अधिकारी/सहायक पुलिस आयुक्त प्रथम नोएडा से प्राप्त आख्या पुनः सलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

संलग्नकः- 02 अदद

अपर पुलिस उपायुक्त नोएडा /
जनसूचना अधिकारी
कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त प्रथम नौएडा, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक-आरटीआई-ब-411/2023 दिनांकः 13.01.2025

अपर पुलिस उपायुक्त नोएडा/
जनसूचना अधिकारी,
कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

कृपया अपने पत्र संख्या आर0टी0आई0-ब-411/2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो आवेदक **श्री योगी एम0पी0 सिंह निवासी मोहल्ला सुरेकापुरम, जबलपुर रोड, संगमोहल, जनपद मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश** के द्वारा माननीय राज्य सूचना आयोग में योजित द्वितीय अपील के सम्बन्ध में सूचना मांगे जाने विषयक हैं। उक्त प्रकरण पंजीकरण संख्या-A20240200203, अपील संख्या-एस-11/ए/1389/2024 पर पंजीकृत है।

उक्त सम्बन्ध में सूचना थाना प्रभारी थाना **सै0-20** नोएडा से प्राप्त की गयी। जिनकी आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **आर0टी0आई0 की धारा 5(4) के अन्तर्गत आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना का स्त्रोत थाना-सै0-20 नौएडा** से हैं। अतः मांगी गयी सूचना की सत्यता के सम्बन्ध में थाना प्रभारी **सै0-20/जॉच अधिकारी** स्वयं जिम्मेदार होंगे।

रिपोर्ट सादर प्रेषित हैं।

Praveen
13/1/25

सहायक पुलिस आयुक्त प्रथम
नोएडा, गौतमबुद्धनगर

सेवा में ,

श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त महोदय प्रथम

नोएडा जोन गौतमबुद्धनगर

विषय –आरटीआई पत्रांक संख्या 411/2023 श्री आवेदक श्री योगी एम. पी. सिंह निवासी मोहल्ला सुरेकापुरम कॉलोनी श्री लक्ष्मी नारायण बैकुंठ मंदिर रीवा रोड पोस्ट ऑफिस संगमोहल 1231001 द्वारा आरटीआई के माध्यम से मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में आख्या।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि उपरोक्त द्वारा आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगी गयी है कि GST फ्रॉड केस से सम्बन्धित अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और कितने अभियुक्त गिरफ्तार किये गये है और केस के सम्बन्ध में अब तक अघतन में स्थिति किया है। उक्त सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। श्रीमान जी आवेदक योगी एम. पी. सिंह निवासी मोहल्ला सुरेकापुरम कॉलोनी श्री लक्ष्मी नारायण बैकुंठ मंदिर रीवा रोड पोस्ट ऑफिस संगमोहल 1231001 के द्वारा प्रेषित प्रा0 पत्र के सम्बन्ध में मुझ जांचकर्ता द्वारा आवेदक के दूरभाष नम्बर 7379105911 से दिनांक 24/12/2024 को वार्ता की गयी तथा आवेदक को फ्रॉड GST के सम्बन्ध में अवगत भी कराया गया तथा जीएसटी फ्राड केस के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 203/23 , 248/23, 255/23 धारा 420/467/468/471/120 बी भादवि का अभियोग अज्ञात में पंजीकृत कराया गया था जिसकी विवेचना वर्तमान मे मुझ निरीक्षक के द्वारा सम्पादित की जा रही है अभियोग की विवेचना के दौरान अब तक 52 अभियुक्तगणों के नाम प्रकाश में आये है तथा शेष अभियुक्तगण सभी अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित की जा चुकी है तथा प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है तथा गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों में से अब तक किसी भी अभियुक्त की जमानत नही हुयी है। अभियुक्तगण जिला कारागार गौतमबुद्धनगर में निरुद्ध है। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा चुकी है तथा उनकी सम्पत्ति चिन्हित कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में विवेचना प्रचलित है तथा अभियोग से सम्बन्धित साक्ष्य संकलित किये जा रहे है। विवेचना के दौरान यदि किसी भी व्यक्ति की घटना में संलिप्ता पायी जाती है तो आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। सभी अभियुक्तों के जमानत मा0 उच्च न्यायालय से इलाहाबाद से खारिज की जा चुकी है। वर्तमान में विवेचना प्रचलित है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

12/01/25

(कैलाशनाथ)

निरीक्षक

थाना सैक्टर 20 नोएडा

गौतमबुद्धनगर

श्रीमान जी

अग्रसारित

12/1/25

प्रभारी निरीक्षक

थाना–सै० 20, नोएडा

गौतमबुद्धनगर